बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (सीतामढ़ी) 02–57/2025–......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–1854/रा० दिनांक–29.05.2025 द्वारा **श्रीमती मोनी कुमारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी** के विरुद्ध अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक–08.01.2025 को अंचल कार्यालय, परिहार के औचक निरीक्षण पश्चात् निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के कार्यालय का ज्ञापांक–211/रा० दिनांक–21.01.2025, ज्ञापांक–547/रा० दिनांक–15.02.2025, ज्ञापांक–613/रा० दिनांक–24.02.2025, ज्ञापांक–621/रा० दिनांक–24.02.2025 एवं ज्ञापांक–830/रा० दिनांक–20.03.2025 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर का ज्ञापांक–3061/रा० दिनांक–27.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किये जाने के संदर्भ में उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने, स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किये जाने तथा कार्य के प्रति उदासीनता, शिथिलता एवं लापरवाही बरतने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1339(15), दिनांक–29.07.2025 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–761 दिनांक–27.08.2025 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप गंभीर होने एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–1790(15) दिनांक–26.09.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी** को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी सदर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक–186/रा0 दिनांक–17.01.2026 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित अंकित किया गया है।

5. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–788(15) दिनांक–12.06.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा अंचल कार्यालय परिहार, सीतामढ़ी के पत्रांक–कैम्प–01/परिहार, दिनांक–24.06.2026 से अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोप के संदर्भ में श्रीमती कुमारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती मोनी कुमारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, परिहार, सीतामढ़ी **सम्प्रति अंचल अधिकारी, सिंघिया, समस्तीपुर** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(गिरधारी लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (सीतामढ़ी) 02–57/2025–1241(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–14/8/26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्रीमती मोनी कुमारी अंचल अधिकारी, सिंघिया, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/08/26

(गिरधारी लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Moni kumar_(CO) Parihar_sitamadhi_संचयी प्रभाव के bina 03.doc-2